संख्या-368/2017/1996/22-2-2016-17(260)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बनवारी पुत्र श्री सुम्मेरा अहेरिया, निवासी जनपद-अलीगढ़ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/पर-2/(एम0-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बनवारी पुत्र श्री सुम्मेरा अहेरिया, निवासी-मोहल्ला उपाध्याय, थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। मुखबरी करने के शक में दिनांक 30-11-1995 की रात्रि लगभग 01:30 बजे बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ तमन्चों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-779/1996 में भा0द0वि0 की धारा-148,149,302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-1 अलीगढ़ के आदेश दिनांक 18.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 18 वर्ष 05 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी अभी अशक्त नहीं हुआ है, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए बन्दी को निरूद्ध रखन का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि मुखबरी करने के शक में दिनांक 30-11-1995 की रात्रि लगभग 01:30 बजे बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

साथ तमन्चों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। सदस्यों का अभितम है कि बन्दी की आयु 48 वर्ष है तथा बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी बनवारी पुत्र श्री सुम्मेरा अहेरिया को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बनवारी (बन्दी संख्या-15791) पुत्र श्री सुम्मेरा अहेरिया, निवासी जनपद-अलीगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-368/2017/1996(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।